इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]   भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2019—पौष 6, शक 1941

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

विमानन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

क्र. एफ 1-10-2001-पैंतालीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश विमानन विभाग (राजपत्रित-तकनीकी) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

अनुसूची-दो में, शीर्षक "फ्लाइट आपरेशन सेल" के अधीन अनुक्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविशिष्टयों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा प्रविशिष्टयां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

3. फलाइट आपरेशन आफीसर-

(क) हायर सेकेण्ड्री (10+2) प्रणाली या समकक्ष परीक्षा भौतिकशास्त्र एवं गणित विषय के साथ उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक

(ख) कम से कम 10 वर्षो का एयरलाइन/सामान्य विमानन/राज्य शासन विमानन का अनुभव, जो -

(एक) नागर विमानन निदेशालय के विद्यमान विनियमों के अनुरूप उड़ान प्रचालन विशेषत: सामान्य विमानन/राज्य शासन विमानन से संबंधित हो,

(दो) नागर विमानन निदेशालय के मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय के साथ उड़ान प्रचालन के मामलों में पर्याप्त सम्पर्क रखता हो,

(तीन) उड़ान प्रचालन की प्रक्रिया व प्रचालन दस्तावेजों और प्रक्रियाओं की गुणवत्ता की देखरेख का अनुभव रखता हो,

(ग) नागर विमानन अपेक्षाओ, विमानन/तकनीकी शिक्षा और कम्प्यूटर शिक्षा से भली-भांति परिचित उम्मीदवार को अधिमानता दी जावेगी।

F-1-10-2001-XLV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Aviation Department (Gazetted-Technical) Service Recruitment and Service Condition Rules, 2003, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,-

In Schedule-II, under the heading "Flight Operation Cell" in serial no.3 and entries thereto, the following serial no. and entries shall be substituted, namely :-

3- Flight Operation officer-

a) Graduate with Higher Secondary (10+2) pattern or an equivalent examination with the subjects of Physics and Mathematics from recognized Board/University

b) At least 10 years experience with Airline/General Aviation/State Govt. Aviation to :

(i) Conduct flight operations in conformity with existing regulations of DGCA preferably in General Aviation/State Govt. Aviation;

(ii) Maintain adequate liaison with the Director General of Civil Aviation Headquarter and Regional Offices in flight operation issues;

(iii) Monitor the quality and standards of operational documents and procedures.

c) Preference would be given to candidate well versed with Civil Aviation Requirements, having broad aviation/technical education and computer literate.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रकान्त कश्यप, अवरसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2019

सूचना

क्रमांक- एफ-3-70/2018/18-5 :- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973(क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार "मध्यप्रदेश राजपत्र (साधारण) ", दिनांक 27 सितम्बर 2019 में पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके है :-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 15 में, -

1. उपनियम (1) में,-
   (एक) शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर, शब्द "संचालक" स्थापित किया जाए।
   (दो) शब्द "भू-स्वामी" के स्थान पर, शब्द " व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह द्वारा" स्थापित किया जाए।
2. उप-नियम (3) का लोप किया जाए।
3. उप-नियम (4) में,-
   (एक) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्न लिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-
   "(क) यदि संचालक चाहे तो सिटॉप से तथ्यात्मक स्थल निरीक्षण रिर्पोट प्राप्त कर सकता है, साथ ही और पूर्व कथित रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा सिटॉप को ऐसी फीस का भुगतान करेगा जैसा कि इस के द्वारा अवधारित की जाए।"
   (दो) खण्ड (ख) में शब्द "व्ही.पी.एस." के स्थान पर, "संचालनालय" स्थापित किया जाए।
   (तीन) खण्ड (ग), में शब्द "व्ही.पी.एस." के स्थान पर, "संचालनालय" स्थापित किया जाए।
   (चार) खण्ड (घ) का लोप किया जाए।
4. उप-नियम (5) में,-
   (एक) शब्द "व्ही.पी.एस." के स्थान पर, "संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश" स्थापित किया जाए।
   (दो) शब्द 6 में, अनुक्रमांक 6 में, शब्द "मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ का परियोजना संचालक" के स्थान पर, शब्द "संचालक, द्वारा नामनिर्दिष्ट संयुक्त संचालक" नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय" स्थापित किया जाए।

5. उप-नियम (6) मे, शब्द " विकास प्राधिकरण संघ" का लोप किया जाए।
6. उप-नियम (7) में, शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर, शब्द "संचालक" स्थापित किया जाए।
7. उप-नियम (8) मे शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर, शब्द "संचालक" स्थापित किया जाए ।
8. उप-नियम (9) में, शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर, शब्द "संचालक" स्थापित किया जाए ।
9. उप-नियम (9) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अतःस्थापित किया जाए, अर्थात :-

"(9)(क) आपत्तियों एवं सुझावो पर विचार करने के पश्चात्, संचालक उपांतरणों के लिए दस्तावेज अपने मत के साथ राज्य सरकार को भेजेगा।

10. उपनियम (10) में शब्द "समिति की अनुशंसाओं" के स्थान पर "संचालक के मत" स्थापित किया जाए ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2019

क्र. एफ-03-70-2018-अठराह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक-एफ-03-70-2018-अठराह-5, दिनांक 17 दिसम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal, dated 17 December 2019

NOTICE

F.No.-F-3-70/2018/18-5- In exercise of power conferred by sub-section (1) of Section 85 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) the State Government hereby makes the following Rules, the same having been previously published in the "Madhya Pradesh Gazette (Ordinary)", dated 27 September 2019 as required by sub section (1) of Section 85 of the said Act.

AMENDMENT

In the said rules, in rule 15,-

1. In Sub-Rule (1),-
   (i) for the word "State Government" the word "Director" shall be substituted.
   (ii) for the words "owner of land" the words "by the person or group of persons" shall be substituted.
2. Sub-Rule (3) shall be omitted.

3. In sub-rule(4)-
   (i) for clause(a), the following clause shall be substituted, namely:-
   "(a) If the Director desire so, can get a factual field enquiry report from SITOP as well and applicant shall pay such fees to SITOP for preparing aforementioned factual report, as may have been determined by it."
   (ii) In clause (b), for the words "VPS", the word "Directorate" shall be substituted.
   (iii) In clause (c), for the words "VPS", the word "Directorate" shall be substituted.
   (iv) clause (d) shall be omitted.
4. In Sub-Rule (5),-
   (i) for the word "VPS" the word "Joint Director, Town and Country Planning shall be substituted.
   (ii) In clause (6), in serial number 6, for the word "Project Director of Madhya Pradesh Vikas Pradhikaran Sangh", the word "Joint Director, Town and Country Planning, Directorate, nominated by the Director", shall be substituted.
5. In Sub-Rule (6), the word "Vikas Pradhikaran Sangh" shall be omitted.
6. In Sub-Rule (7), for the words "State Government" the word "Director" shall be substituted.
7. In Sub-Rule (8), for the words "State Government" the word "Directorate" shall be substituted.
8. In Sub-Rule (9), for the words "State Government" the word "Director" shall be substituted.
9. After Sub-Rule (9), the following Sub-Rule shall be inserted, namely:-
   "(9)(a) The Director shall after considering the objections/suggestions will send with his opinion to State Government along with document for modification."
10. In Sub Rule (10), for the words "The recommendation of the Committee" the words "Opinion of the director", shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, "मेट्रो प्लाजा", बिट्टन मार्केट, भोपाल—462016

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2019

क्र. 1780–म.प्र.वि.नि.आ.–2019.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 61(ज) तथा 86(1)(ङ) के साथ पठित धारा 181(1) तथा धारा 181(2) (य त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित्त उसे सशक्त बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत् का सह–उत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2010 में आठवां संशोधन

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :–**

   (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम "**मध्यपदेश विद्युत् नियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत् का सह–उत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण**

प्रथम) विनियम, 2010 (आठवां संशोधन) {एआरजी–33(1)(viii), का 2019}" है।

(2) ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे।

2. उक्त विनियमों में, विनियम 3 में, उप–विनियम (चौदह) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–विनियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

(चौदह–क) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए 'नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध उत्पादन संयंत्र' से अभिप्रेत है, किसी व्यक्ति द्वारा उसके स्वयं के उपयोग के लिये प्राथमिक विद्युत् उत्पादन हेतु मध्यप्रदेश राज्य में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत् संयंत्र तथा इसमें सम्मिलित है किसी सहकारी सोसायटी या संघ के सदस्यों के उपयोग के लिए प्राथमिक विद्युत उत्पादन हेतु सहकारी सोसायटी या व्यक्तियों के संघ द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में स्थापित विद्युत् संयंत्र तथा जो समय–समय पर यथा संशोधित विद्युत् नियम, 2005 के नियत 3(1) (क) एवं 3(1) (ख) में अन्तर्विष्ट शर्तों का समाधान करता है; "।

3. **विनियम 12 का संशोधनः–**

(1) उप–विनियम 12.1 में, खण्ड (छह) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"(छह) यदि वित्तीय वर्ष के अंत में अधिकोषित की गई विद्युत् की मात्रा तब भी, असमायोजित रह जाती है तो इस प्रकार अवशेष विद्युत को क्रय की गई विद्युत् माना जाएगा तथा इसका भुगतान विद्युत् वितरण अनुज्ञप्तिधारी/एम पी पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा, यथास्थिति सौर/पवन ऊर्जा की उस चर्ष बोली प्रक्रिया में पाई गई न्यूनतम विद्युत्–दर (टैरिफ) के बराबर दर पर किया जाएगा। जहां उक्त वर्ष के दौरान कोई भी विद्युत–दर नहीं पाई जाए वहां अंतिम पूर्व वर्ष में उपलब्ध न्यूनतम विद्युत्–दर पर भुगतान किया जाएगा। सौर/पवन ऊर्जा से अन्य किसी नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत् उत्पादन संयन्त्र के प्रकरण में यह दर विद्युत् वितरण अनुज्ञप्तिधारियों हेतु प्रचलित खुदरा विद्युत् प्रदाय टैरिफ आदेश के अन्तर्गत ऐसी अवधि के लिये आयोग द्वारा अवधारित की गई औसत विद्युत् क्रय लागत होगी।

(2) उप–विनियम 12.2 के पश्चात्, निम्नलिखित उप–विनियम जोड़े जाएं, अर्थात् :–

"12.3 नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयन्त्र जिसका पंजीयन विनियमों के विनियम 12 घ के अधीन विद्युत् वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ

कराया जाएगा, ऐसे संयंत्र को विनियम 12.1 में उपबंधित किए गए अनुसार अधिकोषण सुविधा प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।"

12.4 नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयंत्र जिसका पंजीयन विद्युत् वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ इन विनियमों के विनियम 12घ के अधीन नहीं कराया जाएगा, ऐसे संयंत्र के लिए उप विनियम 12.1 में यथा उपबंधित अधिकोषण सुविधा प्राप्त करने की पात्रता होगी।"

4. **विनियम 12 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम जोड़े जाएं, अर्थात्:–**

"12 क नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयन्त्र हेतु सिद्धान्त, ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन और प्रयोज्यता की रीति निम्नानुसार होगी:–

(क) नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयन्त्र, भले ही वह आबद्ध उपयोगकर्ता(ओं) के परिसर में या फिर आबद्ध उपयोगकर्ता(ओं) के परिसर के बाहर स्थापित किया गया हो, के माध्यम से इन विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए वितरण अनुज्ञप्तिधारी की शक्ति के अनुसार अधिशेष विद्युत विक्रय की पात्रता होगी: परन्तु

(एक) ऐसे आबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयन्त्र का/के उपयोगकर्ता अनिवार्य रूप से मध्यप्रदेश राज्य में किसी विद्युत् वितरण अनुज्ञप्तिधारी का/के उपभोक्ता होगा/होंगे।

(दो) विद्युत् की निकासी हेतु अधोसंरचना विकास के लिये किये गये व्यय, यदि कोई हों, तो वे नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयन्त्र के स्वामी द्वारा वहन किये जाएंगे।

(तीन) आबद्ध उपभोक्ता अपने परिसर के भीतर समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (ग्रिड संयोजित शुद्ध मापन) विनियम, 2015 के अनुसार शुद्ध मापन की सुविधा प्राप्त नहीं कर रहा है।

(ख) आबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयन्त्र को इन विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए तृतीय पक्षकार को विक्रय के लिए पात्रता होगी : परन्तु

(एक) विद्युत् की निकासी तथा आपूर्ति हेतु अधोसंरचना विकास पर किये गए कोई व्यय, यथास्थिति, नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत् उत्पादन संयन्त्र के स्वामी अथवा तृतीय पक्षकार उपभोक्ता द्वारा वहन किये जाएंगे।

(दो) तृतीय पक्षकार उपभोक्ता समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग विनियम, 2015 के अनुसार शुद्ध मापन की सुविधा प्राप्त नहीं कर रहा है।

12(ख). पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापनः–

(एक) नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयन्त्र हेतु, पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण तथा विचलन–व्यवस्थापन, ऊर्जा लेखांकन यथा व्यवस्थापन समय–समय पर यथासंशोधित म प्र वि नि आ (पवन तथा सौर विद्युत् उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन–व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 के उपबन्धों के अनुसार 15 मिनट के समय–खण्ड वार के आधार पर उपयुक्त विनियमों में निर्धारित सीमाओं के अध्यधीन किए जाएंगे :

परन्तु नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयन्त्रों द्वारा हितग्राही उपभोक्ताओं को प्रदाय की गई ऊर्जा का लेखांकन तथा व्यवस्थापन सम्पूर्ण बिलिंग अवधि हेतु प्रचलित अनुबंध के अनुसार ऐसे उपभोक्ताओं को लागू 15 मिनट के समय–खण्ड में किया जाएगा।

(दो) किसी सौर तथा पवन नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयन्त्र के माध्यम से अन्तःक्षेपित अधिशेष ऊर्जा का मापन प्रत्येक 15 मिनट के समय खण्ड हेतु किया जाएगा तथा अधिशेष ऊर्जा की गणना की जाएगी। ऐसी अधिशेष ऊर्जा का व्यवस्थापन प्रत्येक बिलिंग अवधि के अन्त में उस वर्ष सौर/पवन ऊर्जा की बोली प्रक्रिया में पाई गई न्यूनतम विद्युत्–दर के अनुसार किया जाएगा तथा जिस हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी/एम.पी. पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा, यथास्थिति, सौर/पवन विद्युत् उत्पादन संयन्त्रों के साथ विद्युत् क्रय अनुबन्ध निष्पादित किया गया हो। यदि उक्त वर्ष के लिये न्यूनतम विद्युत्–दर पाई नहीं जाती है तो पूर्व अंतिम वर्ष में पाई गई विद्युत्–दर पर व्यवस्थापन किया जाएगा। सौर/पवन को छोड़कर किसी अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन के स्त्रोत के प्रकरण में प्रत्येक बिलिंग अवधि के अन्त में ऐसी अधिशेष ऊर्जा का व्यवस्थापन आयोग द्वारा उक्त अवधि हेतु उसके खुदरा विद्युत्–प्रदाय टैरिफ आदेश में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों हेतु प्रचलित अवधारित की गई प्रयोज्य औसत विद्युत् क्रय लागत के आधार पर किया जाएगा।

(तीन) यदि नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयन्त्र से युक्त नवीकरणीय ऊर्जा आबद्ध उपभोक्ता ग्रिड से विद्युत् का आयात करता हो तो इस प्रकार की ऊर्जा का निपटान/व्यवस्थापन वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु प्रचलित खुदरा विद्युत्–प्रदाय टैरिफ आदेश में ऐसे आबद्ध उपभोक्ता हेतु लागू विद्युत्–दर पर किया जाएगा तथा ऐसी ऊर्जा का व्यवस्थापन मध्यप्रदेश राज्य में संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के आबद्ध उपयोगकर्ताओं के साथ निष्पादित तत्संबंधी अनुबन्ध के उपबन्धों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा :

परन्तु आबद्ध भार कारक की गणना के प्रयोजन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा के उपभोक्ता {नवीकरणीय ऊर्जा के आबद्ध विद्युत्–उत्पादन स्त्रोत के माध्यम से उपभोग किये गये यूनिटों को सम्मिलित करते हुए} कुल उपभोग किये गये यूनिटों को मान्य किया किया जाएगा। किसी भी दशा में आबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत्–उत्पादन स्त्रोत द्वारा उत्पादित की गई आधिक्य ऊर्जा को, ग्रिड से आधारित आबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से आयात की गई ऊर्जा द्वारा समायोजित (नेट–ऑफ) नहीं किया जाएगा।

(चार) आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयन्त्र आधारित नवीकरणीय ऊर्जा का आबद्ध उपभोक्ता प्रतिसहायतानुदान प्रभार, चक्रण प्रभार तथा अतिरिक्त अधिभार का भुगतान करने के दायित्वाधीन नहीं होगा परन्तु उसे अपने स्वयं के उपयोग के लिये या आबद्ध उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग हेतु, जैसा कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है, विद्युत् की हानियों को वहन करना होगा :

परन्तु आबद्ध विद्युत खपत, यथास्थिति, वितरण और/या पारेषण, अनुज्ञप्तिधारी की वितरण और/या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली के उपयोग के बिना किया जा रहा हो तो आबद्ध उपयोगकर्ता हानियों को वहन नहीं करेगा :

परन्तु यह और भी कि आबद्ध उपयोगकर्ताओं से भिन्न अन्य किसी उपभोक्ता ऊर्जा प्रदाय की दशा में ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति को समस्त निर्बाध (खुली) पहुंच प्रभारों का भुगतान जिसमें प्राप्ति सहायतानुदान प्रभार, अतिरिक्त प्रभार, और आयोग द्वारा यथा अवधारित चक्रण प्रभार सम्मिलित हैं; का भुगतान करना होगा तथा हानियों को भी वहन करना होगा।

(पांच) ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयन्त्र के आबद्ध उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को आयोग द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए जारी

किए गए खुदरा विद्युत् प्रदाय टैरिफ आदेश में लागू की गई एचवी–3 श्रेणी के अन्तर्गत किसी भी छूट की पात्रता नहीं होगी।

(छह) नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयन्त्र को यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि वह विद्युत नियम, 2005 तथा पश्चातवर्ती संशोधनों में यथा उपबंधित आबद्ध विद्युत् उत्पादन संयंत्रों की अपेक्षाओं का ध्यान रखे :

परन्तु किसी वित्तीय वर्ष में विद्युत् नियम, 2005 में यथा उपबंधित आबद्ध उत्पादन संयन्त्र की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं की जाती है, तो उस वित्तीय वर्ष में उत्पादन संयन्त्र को आबद्ध उत्पादन संयंत्र के प्रलाभों की पात्रता नहीं होगी।

12 ग. नवीकरणीय क्रय दायित्व :

वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयन्त्र से क्रय की गई अधिशेष विद्युत् के लिये वितरण अनुज्ञप्तिधारी को नवीकरणीय विद्युत् क्रय आबन्ध अर्ह होंगे। उपभोक्ता को सर्वप्रथम नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयन्त्र से उसके स्वयं के नवीकरणीय क्रय आबन्ध के अन्तर्गत स्वयं के उपभोग हेतु अर्ह होंगे। तथापि, यदि आबद्ध उपभोक्ता की स्वयं की खपत उसके नवीकरणीय क्रय आबन्ध से अधिक हो तो विद्युत् की ऐसी मात्रा को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नवीकरणीय क्रय आबन्ध के अनुपालन हेतु मान्य किया जाएगा।"

"12 घ. आवेदन को प्रक्रियाबद्ध करना तथा प्रयोज्य शुल्कः–

(एक) इस संशोधन के उपबंधों के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई सुविधा प्राप्त करने हेतु आशयित नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयन्त्रों को अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार विनिर्दिष्ट प्ररूप में वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ स्वयं का पंजीयन, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में पंजीयन शुल्क रू 1000/– (एक हजार मात्र) जमा करना होगा । वितरण अनुज्ञप्तिधारी, इस बारे में अपने तत्संबंधी नामांकित कार्यालयों के विवरण अपनी बेबसाईट पर उपलब्ध कराएंगे। वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपनी बेबसाईट पर और नामांकित कार्यालय में प्ररूप उपलब्ध कराएंगे। विद्यमान आबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उपभोक्ता जो उपरोक्त सुविधा प्राप्त करने का आशय रखते हों, को उनका आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा तथा उन्हें अपने नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयन्त्र का संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ पंजीयन कराना होगा। नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयन्त्र पर कोई भी फीस उद्ग्रहणीय नहीं होगी।

(दो) पंजीयन शुल्क या, यथास्थिति, आवश्यक प्रलेखों के साथ समस्त प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी आवेदन की पावती देगा ।

(तीन) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, यदि चाही गई निर्बाध पहुंच विद्यमान संविदा मांग से अधिक है, तो संभाव्यता प्रतिवेदन के अनुसार अपेक्षित आबद्ध उपभोक्ता के साथ निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध की प्रति, उपभोक्ता द्वारा जमा की जाने वाली प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु रकम, यदि कोई हो के साथ, यथास्थिति, आवेदन की स्वीकृति/निरस्तीकरण के बारे में उपभोक्ता को संसूचित करेगा।

(चार) नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयन्त्र, समय–समय पर यथा संशोधित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग अन्तर्राज्यीय खुली पहुंच विनियम, 2005 के अनुसार, इन विनियमों के विनियम 12ख (चार) में विनिर्दिष्ट बाध्यताओं को छोड़कर समस्त की पूर्ति करेगा।

आयोग के आदेशानुसार,
शैलेन्द्र सक्सेना, आयोग सचिव.

Bhopal, the 17th December 2019

No. 1780.—In exercise of the powers conferred by Section 61(h), 86(1) (e) read with Section 181(1) and Section 181(2) (zp) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in that behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Electricity Rehulatory Commission (cogeneration and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy) (Revision-I Regulations, 2010 namely:—

Eighth amendment to Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Cogeneration and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy) (Revision-I) Regulations, 2010 [RG- 33(I) of 2010]

1. Short Title and Commencement –

1.1 These Regulations shall be called **"Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Cogeneration and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy) (Revision-I) Regulations, 2010 (Eight Amendment) {ARG-33(I)(viii) of 2019}**

1.2 These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

1.3 These Regulations shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.

2. In the said Regulations, in regulations 3, after sub-regulation (xiv), the following sub-regulations shall be inserted, namely: -

"(xiv-a) For the purpose of these Regulations, the **'Renewable Energy based Captive Generating Plant'** means a Renewable Energy power plant set up in the state of Madhya Pradesh by any person to generate electricity primarily for his own use and includes a power plant set up in the state of Madhya Pradesh by any co-operative society or association of persons for generating electricity primarily for use of members of such co-operative society or association and satisfies the conditions contained in Rule 3 (1) (a) and 3 (1) (b) of the Electricity Rules, 2005 as amended from time to time."

3. Amendment of regulation 12:-

(1) In sub-regulation 12.1, for clause (vi), the following clause shall be substituted, namely:

"(vi) If a portion of banked power still remains un-adjusted at the end of Financial Year, then such remaining power would be construed as power purchased and the payment for the same will be made by the Distribution Licensee / MP Power Management Co Ltd at the rate equal to the lowest tariff rate discovered in the solar/ wind bidding, as the case may be, for the state of MP in that year. In case no rate is discovered in that year, the available lowest tariff rate discovered in the latcst previous year shall be considered. In case of any Renewable Energy based Captive Generating Plant other than solar or wind, this rate shall be the applicable Average Power Purchase Cost as determined by the Commission for such period in its Retail Supply Tariff Order for Distribution Licensees in force.

(2) after sub-regulation 12.2, the following sub-regulations shall be added, namely: -

"12.3. The Renewable Energy based Captive Generating Plant which shall be registered with the Distribution Licensee under Regulation 12D of these Regulations shall not be eligible to avail banking facility as provided in sub-regulation 12.1.

"12.4 The Renewable Energy based Captive Generating Plant which shall not be registered with the Distribution Licensee under Regulation 12(D) of these Regulations, shall be eligible to avail banking facility as provided in sub-regulation 12.1."

4. After regulation 12, the following regulations shall be added, namely:-

"12 (A) The Principles, Energy Accounting and Settlement, RPO and Manner of Application for Renewable Energy based Captive Generating Plant shall be as under:

(a) The Renewable Energy based Captive Generating Plant, whether installed in the premises of its captive user(s) or outside the premises of its captive user(s) shall be eligible to sale its surplus power to the Distribution Licensee subject to provisions of these Regulations provided that:

(i) The captive user(s) of such Captive RE Generation Plant shall mandatorily be a consumer(s) of any Distribution Licensee in the state of Madhya Pradesh.

(ii) The expenses, if any, incurred on the infrastructure development for evacuation of power are required to be borne by the owner of Renewable Energy based Captive Generating Plant.

(iii) The captive consumer is not availing facility of net metering in its premises in accordance with the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Grid connected Net Metering) Regulations, 2015 as amended from time to time.

(b) The Captive RE Generation Plant shall also be eligible to sale its surplus power to any 3rd party subject to provisions of these Regulations provided that:

(i) The expenses, if any, incurred on the infrastructure development for evacuation and supply of power are required to be borne by the owner of Captive RE Generation Plant or the 3rd Party consumer as the case may be.

(ii) The 3rd party consumer is not availing facility of net metering in its premises in accordance with the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Grid connected Net Metering) Regulations, 2015 as amended from time to time."

12 B. Forecasting, Scheduling, Energy Accounting and Settlement: -

(i) For Renewable Energy based Captive Generating Plant forecasting, scheduling and deviation settlement, energy accounting and settlement shall be done in 15 minute time-block wise as per MPERC (Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement Mechanism and related matters of Wind and Solar Generating stations) Regulations, 2018 subject to limits stipulated in the aforesaid Regulations as amended time to time.

Provided that the energy accounting and settlement of energy supplied to the beneficiary consumers by the Renewable Energy based Captive Generating Plants shall be done in 15 minute time-block wise for the entire billing period applicable to such consumers as per subsisting agreement.

(ii) Surplus power injected by a Solar and Wind Renewable Energy based Captive Generating Plant shall be metered for each 15 minutes time block and surplus power shall be computed. Settlement of such surplus power shall be made at the end of every billing period at the rate equal to the lowest tariff rate discovered in the solar/ wind bidding in that year and for which the Distribution licensee/ M.P. Power Management Co. Ltd. has entered into a Power Purchase Agreement with the solar or wind generating plants, as the case may be. In case no rate is discovered in that year, the available lowest tariff rate discovered in the latest previous years shall be considered. In case of any Renewable Energy based Captive Generating Plant other than solar or wind, the settlement of such surplus power at the end of every billing period shall be done at the applicable Average Power Purchase Cost as determined by the Commission for such period in its Retail Supply Tariff Order for Distribution Licensees in force.

(iii) If a RE captive consumer with Renewable Energy based Captive Generating Plant imports electricity from grid, settlement of such energy shall be made at the tariff applicable for such captive consumer in Retail Supply Tariff Order for Distribution Licensees in force and settlement of such energy shall also be governed by the provisions of respective agreement executed by RE captive users with the concerned Distribution Licensee in the state of M.P.

Provided that the total units consumed by RE captive consumer (including the units consumed from RE captive Generating Source) shall be considered for the purpose of computation of Load Factor, In no case, the surplus energy generated by Renewable Energy based Captive Generating Plant shall be used to net off the energy imported by the RE Captive user from the grid.

(iv) The RE captive consumer of Renewable Energy based Captive Generating Plant shall not be liable to pay cross subsidy surcharge, wheeling charge and additional surcharge but it shall be liable to bear the losses for carrying the generated electricity from its plant to the destination for its own use or for the use of its captive user as defined by the Act or the rules made thereunder.

Provided that the captive user shall not bear the losses in case the captive consumption is being done without using the distribution and / or transmission system of the Distribution and / or Transmission Licensee as the case may be;

Provided further that in case of supply of power to a consumer or to a person other than captive users, such consumer or person shall pay all open access charges including cross-subsidy surcharge, additional surcharge and wheeling charges as determined by the Commission and shall bear the losses.

(v) The captive consumer/user of such Renewable Energy based Captive Generating Plant shall not be eligible for any rebates for captive power plant consumer under HV- 3 category in applicable Retail Supply Tariff Order for Distribution Licensees issued by the Commission.

(vi) It shall be the obligation of the Renewable Energy based Captive Generating Plant to ensure that the requirement of the captive generating plant as provided in the Electricity Rule, 2005 and subsequent amendments are maintained.

Provided that in case the requirement of the captive generating plant as provided in the Electricity Rule, 2005 is not maintained in any financial year, the generating plant shall not be eligible for the benefits of a captive generating plant in that financial year.

"12 (C) Renewable Purchase Obligation: -

The surplus electricity purchased by the distribution licensee from Renewable Energy based Captive Generating Plant shall qualify towards compliance of Renewable Purchase Obligation (RPO) of the Distribution licensee. The quantum of electricity consumed by consumer from its Renewable Energy based Captive Generating Plant shall first qualify towards compliance of its own Renewable Purchase Obligation

(RPO). However, if the self-consumption of the captive consumer is over and above its Renewable Purchase Obligation (RPO), such quantum of electricity over and above RPO shall be considered towards compliance of Renewable Purchase Obligation of the Distribution Licensee.

"12 (D) Processing of application and applicable fee: -

(i) The Renewable Energy based Captive Generating Plants intending to avail the facility made available under the provisions of this Amendment shall have to submit an application and register with Distribution Licensee in the specified form as provided by the Distribution Licensee along with non-refundable registration fee of Rs. 1000 (one thousand only) at the office designated by the concerned Distribution Licensee. The Distribution Licensees shall provide the details of their respective designated offices on their web-site in this regard. The Distribution licensee shall make the form available on its website and at its designated office. The existing Captive RE Consumers who intend to avail the above facility shall also be required to submit the application and register their Renewable Energy based Captive Generating Plant with the concerned Distribution Licensee. No fee shall be levied on existing Renewable Energy based Captive Generating Plant.

(ii) On receipt of application complete in all respect along with registration fee, or as the case may be, and necessary documents, the Distribution licensee shall acknowledge the application.

(iii) The Distribution Licensee shall communicate to the consumer the sanction/ rejection of the application, as the case may be, along with amount for system strengthening work, if any, required as per feasibility report, if the open access sought is over and above existing contract demand, to be deposited by the consumer along with a copy of agreement to be executed with the captive consumer.

(iv) The Renewable Energy based Captive Generating Plant shall also fulfill all the obligations except those specified in Regulation 12(B) (iv) of these Regulations as per the MPERC Intra-State Open Access Regulations, 2005 as amended from time to time.

By order of the Commission,
SHAILENDRA SAXENA, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.